

**मांग संख्या 04**  
**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन के निर्णयानुसार नक्सली पीड़ितों को राहत व पुनर्वास हेतु रूपये 167.00 लाख एवं नक्सलियों द्वारा बारुदी सुरंग बिस्फोट में वाहन के मुआवजा हेतु रूपये 300 लाख कुल रूपये 170.00 लाख व्यय तथा वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों के पेंशन भुगतान हेतु रूपये 1.20 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,71,20,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राज्य शासन के निर्णयानुसार समामेलित विशेष निधि के लिये मैचिंग ग्रांट हेतु रूपये 50.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

राज्य शासन के निर्णयानुसार जनजागरण अभियान योजनान्तर्गत रूपये 500.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 5,00,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।